v?;k; 6
'kgjh LFkkuh; fudk;ksa dh vuqikyu ys[kkijh{kk

6-1 vykHkdkjh 0;;

gkbMªksfyd Vkoj oSxu flLVe vkSj cgqmn~ns'kh; dwMk xkMh dks vko';drk dk vkdyu fd;s fcuk Ø; fd;k tkuk rFkk rhu o"kksZa ls vf/kd le; rd fuf"Ø; iMs jgus ds ifj.kkeLo:Ik ₹ 20-27 yk[k dk vykHkdkjh 0;;A

विद्युत खम्भों में मार्ग प्रकाश के अनुरक्षण एवं नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट परिवहन को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद के बोर्ड द्वारा 14 अगस्त 2010 की बैठक में एक बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी एवं एक हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम को क्रय करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, ₹ 17.69 लाख (एक बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी ₹ 7.72 लाख तथा एक हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम हेतु ₹ 9.97 लाख) का आकलन कर जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में समिति द्वारा अनुमोदन किया गया (मार्च 2011)। समिति द्वारा ₹ 9.62 लाख तेरहवें वित्त आयोग से एवं शेष ₹ 8.07 लाख नगर पालिका परिषद की राज्य वित्त आयोग अनुदान/पालिका निधि से व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2011)।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सरधना, मेरठ के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी और जून 2015) में पाया गया कि ₹ 8.95 लाख की एक बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी और ₹ 11.32 लाख की हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम, कुल कीमत ₹ 20.27 लाख में क्रय (दिसम्बर 2011) किया गया। अग्रेतर, जांच में पाया गया कि बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी एवं हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम आपूर्ति के समय (दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012) से निष्क्रिय पड़ी हुयी थी। उसके अतिरिक्त, हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम जिस वाहन में लगाया जाना था, इसके लिये आगणन में कोई प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई की स्टाक–पंजिका में प्रविष्टियों (दिसम्बर 2011 व मार्च 2012) के अवलोकन में पाया गया कि इन मशीनों को मई 2015 तक कभी भी संचालन हेतु निर्गत नहीं किया गया था। यह भी संज्ञान में आया कि इन मशीनों के संचालन हेतु कोई नियमित कर्मचारी भी नियुक्त नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् ने बताया (मई 2015) कि मशीनों के क्रय की आवश्यकता का ऑकलन नहीं किया गया, मशीनें सुरक्षित हैं तथा संचालित नहीं हैं, भविष्य में इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। यद्यपि, नगर पालिका परिषद् ने मशीनों के अनुपयोगी रहने के सन्दर्भ में कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया। नगर पालिका परिषद ने पुनः बताया (अगस्त 2015) कि बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी को हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम पर लगाने हेतु परिवर्तित किया गया तथा वर्तमान में जब एवं जहाँ आवश्यकता होती है उसका प्रयोग कर्मचारी संविदा पर रखकर किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (1) बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी क्रय किये जाने के चार वर्ष बाद तक कूड़ा संग्रह उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लिया गया, अब भी इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा था। (2) हाइड्रोलिक

टावर वैगन सिस्टम का तीन वर्ष तक उपयोग नहीं किया गया तथा उसकी उपयोगिता अब भी क्षीण है। (3) मशीनों का क्रय आवश्यकता का समुचित आंकलन किये बिना किया गया और (4) इन मशीनों के उत्पादक जीवन का महत्वपूर्ण भाग बिना निर्दिष्ट लाभ लिए बीत गया।

इस प्रकार, बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी का उपयोग कूड़ा संग्रह के उद्देश्य हेतु नहीं किया गया, और हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम क्रय के तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उपयोग आशान्वित नहीं था, परिणामस्वरूप ₹ 20.27 लाख इन उपकरणों के क्रय में निवेशित करना अलाभकारी रहा।

6-2 jktLo gkfu

o"kZ 2008&15 dh vof/k esa tyeY; dh olwyh u fd;s tkus ds dkj.k uxj ikfydk ifj"kn] 'kkeyh dks de ls de ₹ 89-86 yk[k dh jktLo gkfu rFkk vfu;fer :Ik ls ty eY; lekIr fd;s tkus ls ekpZ 2008 rd ₹ 46-11 yk[k dh gkfuA

उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त शहरी स्थानीय निकायों को परामर्श (जनवरी 1997) दिया था कि उनके वर्तमान घरेलू जल मूल्य जो कि जलापूर्ति की बढ़ती लागत के अपेक्षा बहुत कम है, के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत द्वारा घरेलू जल मूल्य की दरों को पुनरीक्षित कर कम से कम ₹ 75, ₹ 50, तथा ₹ 30 प्रतिमाह के आधार पर निर्धारित किया जाय। इसी क्रम में, नगर पालिका परिषद, शामली ने जल संभरण नियमावली 2001 (नियम) के नियम 9 तथा उत्तर प्रदेश शासन के गजट (जुलाई 2002) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, भवनों के वार्षिक मूल्यांकन तथा जलापूर्ति हेतु बिछायी गयी पाइप–लाइन की क्षमता के आधार पर ₹ 8 से ₹ 70 प्रतिमाह के मध्य घरेलू जल मूल्य को पुनरीक्षित किया।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) में पाया गया कि नगर पालिका/नगर पालिका परिषद, शामली के बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर (दिसम्बर 2008) जल मूल्य के साथ मार्च 2008 के अन्त तक पूर्व वर्षों के बकाया ₹ 46.11 लाख को समाप्त कर दिया। जलमूल्य को समाप्त करने का निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि जलकर के साथ जलमूल्य की वसूली भ्रम की स्थिति पैदा कर रही थी तथा बकाया जलमूल्य को इस आधार पर माफ कर दिया गया था कि यह विगत कई वर्षो से लम्बित था। प्रकरण को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 137 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को सन्दर्भित किया गया (मार्च 2009)। यद्यपि, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये जाने के पश्चात भी अगस्त 2015 तक शासन का निर्णय प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद के बोर्ड के निर्णय के आधार पर तथा उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति के बिना नगर पालिका परिषद ने 2008–15 की अवधि में क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये जलमूल्य के निर्धारण तथा जलमूल्य देयकों को निर्गत करना बन्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 14,708 घरेलू उपभोक्ताओं से कम से कम ₹ 89.86 लाख[1] जलमूल्य की वसूली नहीं की जा सकी *½ifjf'k"V 6-1½*।

[1] ₹ 8.00 प्रतिमाह न्यूनतम दर के अनुसार गणना।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ने बोर्ड की बैठक में तथ्यपरक बिन्दु रखा था कि शासन की नियमावली के सुसंगत उपबन्धों द्वारा निर्देशित स्थानीय निकायों के बढ़े हए राजस्व एवं जलमूल्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। उपरोक्त प्रावधान के पश्चात भी नगर पालिका परिषद, शामली के बोर्ड द्वारा जल मूल्य को समाप्त कर दिया गया तथा विगत वर्षों की बकाया वसूली को माफ कर दिया गया एवं जलकर के निर्धारण और उपभोक्ताओं को जल देयकों का निर्गत करना बन्द कर दिया गया।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति के बिना बोर्ड का यह निर्णय कि जलमूल्य को समाप्त कर दिया जाये, अनियमित एवं अन्यायसंगत था। अग्रेतर पाया गया कि जलमूल्य को केवल इस आधार पर समाप्त किया जाना कि, जलकर के साथ इसकी वसूली भ्रम पैदा कर रही है, तर्कसंगत नहीं था।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2015) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शामली ने इस तथ्य को स्वीकार किया (अगस्त 2015) कि बोर्ड पुराने बकायों को समाप्त करने हेतु सक्षम नहीं था। उन्होंने पुष्टि भी की कि अगस्त 2015 तक जलमूल्य की वसूली नहीं की गयी है।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के विरूद्ध 2008–15 की अवधि में जल मूल्य की वसूली न किये जाने के कारण नगर पालिका परिषद, शामली को कम से कम ₹ 89.86 लाख एवं अनियमित रूप से जलमूल्य को समाप्त तथा माफ किये जाने से ₹ 46.11 लाख की हानि हुयी।

6-3 jktLo gkfu

mRrj izn'k izn"k.k fu;=.k ckM ds ekudk dk vuikyu fd;s fcuk lpkfyr o/k'kkyk ds cn gkus ds QyLo:Ik ₹ 5-37 djkM dh jktLo gkfu ¼uoEcj 2015½A

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 114 (xxi) के अनुसार सार्वजनिक बाजारों, वधशालाओं का निर्माण, अनुरक्षण एवं उनका नियमितीकरण करना नगर निगम का एक आवश्यक कर्तव्य है। अग्रेतर, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानो के अनुसार अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत वधशाला की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है।

नगर निगम, अलीगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2014) में यह पाया गया कि नगर निगम में वधशाला का संचालन संविदा के आधार पर सहमति शुल्क के भुगतान पर किया जा रहा था एवं ठेकेदार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण मानक को अनुपालन करने के लिये बाध्य था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन न किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2002–15 की अवधि में कई बार[2] वधशाला को बंद करने का आदेश दिया गया था *¼ifjf'k"V 6-2½*। तथापि, शहर में मांस की अत्यधिक मांग के कारण

[2] वधशाला को बन्द करने की तिथि 27.11.2002 से 22.05.2007, 01.04.2012 से 05.12.2013 एवं अंतिम रूप से 12.03.2015 से 30.11.2015 तक।

पशुओं के अवैध वध को ध्यान में रखते हुये बंदी आदेश में छूट (23 मई 2007 से 31 मार्च 2012 तक एवं 6 दिसम्बर 2013 से 11 मार्च 2015 तक) इस शर्त पर दी गयी थी कि नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उत्प्रवाह प्रशोधन संयन्त्र की स्थापना के साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्य पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाये। तथापि, नगर निगम ने वर्ष 2002 से 2011 के मध्य वधशाला संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित न करने के लिये ठेकेदार पर संविदा के प्रावधानों को बाध्य करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की एवं वधशाला के आधुनिकीकरण के लिए उत्प्रवाह प्रशोधन संयन्त्र, जैव उर्वरक इकाई की स्थापना एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं उसके उचित निवारण में भी असफल रहा।

अग्रेतर, यह भी संज्ञान में आया कि नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर आधारित सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर वधशाला के आधुनिकीकरण के लिए निविदा आमंत्रित (सितम्बर 2012) की गयी थी। बोर्ड की बैठक में ₹ 1.91 करोड़ के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था (दिसम्बर 2012), किन्तु उसका अनुमोदन प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)। उसी समय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तुरन्त वधशाला को बंद करने का आदेश जारी किया गया था (दिसम्बर 2014)। यद्यपि, नगर निगम ने मार्च 2015 में वधशाला को बंद कर दिया था।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2002 से लंबी अवधि तक वधशाला का बार–बार बंद होना यह दर्शाता है कि वधशाला के अनुरक्षण संबधी बाध्यकारी कर्तव्यों को पालन करने में नगर निगम असफल रहा। अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2013 एवं 12 मार्च 2015 से नवम्बर 2015 तक वधशाला के बंद होने के समय में वधशाला से क्रमशः ₹ 15.60 लाख एवं ₹ 26 लाख प्रतिमाह की दर से राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। इस प्रकार, नगर निगम एवं उत्तर प्रदेश शासन के समय से वधशाला के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित किये जाने में असफल रहने के फलस्वरूप ₹ 5.37 करोड की राजस्व हानि हुई*¼ifjf'k"V 6-3½A*

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़ ने बताया (जनवरी 2014 एवं जून 2015) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार आधुनिक वधशाला के निर्माण का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है एवं अवैधानिक वधशालाओं के विरूद्ध कारवाई की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर निगम पशुओं के अवैधानिक वध के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में असफल रहा एवं आधुनिक वधशाला के निर्माण के प्रस्ताव (मार्च 2013) में 10 वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों का अनुपालन कर आधुनिक वधशाला के निर्माण में समय से कार्रवाई नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप वधशाला के बंद होने से नवम्बर 2015 तक ₹ 5.37 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

6-4 fujFkd 0;;

uxj ikfydk ifj"kn] irkix< vkj ty fuxe d chp leUo; e deh d dkj.k tulkekU; dk rhu o"k l vf/kd le; rd gb leL;kvk d vfrfjDr {kfrxLr lMd d fuek.k ij ₹ 27-33 yk[k d fujFkd 0;;A

उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी धनराशि का व्यय करते समय वैसी ही सतर्कता रखे जैसी कि वह सामान्य परिस्थितियों में स्वयं के धन को व्यय करते समय रखता है।

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2014) में पाया गया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत एक सड़क जो ''गाय घाट से अम्बेडकर चौराहा होते हुये, श्री राम चौराहा और घंटाघर से अचलपुर जेल तिराहा तक'' जाती थी को सदृढ़ीकरण का कार्य होना था। नगर पालिका परिषद द्वारा 07 फरवरी 2011 को निविदा आमंत्रित की गयी थी, इसी अवधि में 26 फरवरी 2011 को जल निगम ने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से अनुरोध किया कि नगर पालिका परिषद की सीमा के भीतर किसी सड़क का निर्माण कार्य न किया जाये, क्योंकि उसमें सीवर पाइप–लाइन डाली जानी है अन्यथा सड़क के निर्माण कार्य पर दोबारा व्यय करना पड़ेगा। अग्रेतर, जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ ने नगर पालिका परिषद को निर्देश (जुलाई 2011) दिये कि श्री राम तिराहे से सिनेमा सड़क तक प्रथम कोट का कार्य करें और सड़क के शेष भाग में आने वाले त्योहारों को देखते हुये पैचिंग का कार्य करें और तत्पश्चात जल निगम द्वारा सीवर पाइप–लाइन डालने के बाद सड़क का स्थायी निर्माण कार्य किया जाये।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुये पुनः निविदा आमंत्रित (फरवरी और मई 2012) की। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जल निगम से सम्पर्क किये बिना ही सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारम्भ (मई 2012) कर दिया गया। अति व्यस्त सड़क होने के कारण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना था, तो भी, नगर पालिका परिषद द्वारा समन्वय एवं त्वरित कार्यवाही हेतु मामले को उच्च प्राधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया। तदोपरान्त, नगर पालिका परिषद द्वारा ठेकेदार के माध्यम से 3369.76 घन मीटर वाटर मिक्स मैकडम का कार्य करा दिया गया (अगस्त 2012)। यह संज्ञान में आया कि नगर पालिका परिषद द्वारा सड़क का *वाटर मिक्स मैकडम* का कार्य पूर्ण होने के तुरन्त बाद जल निगम ने (अक्टूबर 2012) में सीवर पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप, 856.06 घन मीटर *वाटर मिक्स मैकडम* की सड़क लागत ₹ 27.33 लाख थी, क्षतिग्रस्त हो गयी। तथ्य यह है कि नगर पालिका परिषद द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के ठीक चार माह बाद जल निगम ने अपना कार्य प्रारम्भ किया जिससे यह प्रदर्शित होता है कि दोनों एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी थी एवं नगर पालिका परिषद द्वारा वित्तीय औचित्य के नियमों की पूर्णरूप से अवहेलना की गयी। नगर पालिका परिषद द्वारा मार्च 2014 मे क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य को ₹ 27.33 लाख की लागत में पूर्ण कराया गया। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद और जल निगम के बीच उचित समन्वय की कमी के कारण क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य पर ₹ 27.33 लाख का व्यय निरर्थक हुआ।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2015) नगर पालिका परिषद द्वारा उत्तर में बताया (फरवरी 2015) कि निविदा आमंत्रित करने के लिये आदेश तत्कालीन जिलाधिकारी से अनुमोदित (अप्रैल 2012) था और कार्य आदेश कार्य प्रारम्भ करने हेतु जारी किया गया था। नगर पालिका परिषद का उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद को आदेशित (जुलाई 2011) किया था कि सीवर पाइप लाइन बिछाने के बाद ही सड़क का निर्माण किया जाय, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद को जुलाई 2011 में यह भी निर्देशित किया था कि सड़क पर केवल प्रथम कोट एवं पैचिंग का कार्य किया जाय और सड़क पर स्थायी निर्माण नहीं किया जाय। अग्रेतर नगर पालिका परिषद ने कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जल निगम से सीवर पाइप–लाइन के प्रस्ताव की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद और जल निगम के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 27.33 लाख का व्यय निरर्थक था।

6-5 jktLo gkfu

okg; Ikkrk d ek/;e l ikfdx 'kYd dh olyh gr fufonk d vfUrehdj.k e ,o foHkkxh; depkfj;k d }kjk yf{kr jktLo dh olyh e vlQy jgu d dkj.k uxj ikfydk ifj"kn] cyjkeij e okgu LVM l ₹ 32-53 yk[k d de jktLo olyh gkukA

उत्तर प्रदेश के नगर पालिका अधिनियम, 1916, की धारा 99 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका आगामी वर्ष के 31 मार्च तक के लिए बजट तैयार करेगी जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्ययों का वास्तविक विवरण तैयार करेगी और 1 अप्रैल से पूर्व बोर्ड की बैठक में रखेगी। आगामी वर्ष से पूर्व, प्रत्येक प्राक्कलित प्राप्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाना चाहिये।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बलरामपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2014) में पाया गया कि नगर पालिका परिषद ने नगरीय क्षेत्र में टैक्सी स्टैण्डों एवं सभी वाणिज्यिक वाहनों से लोडिंग एवं अनलोडिंग पर पार्किंग शुल्क अधिरोपित किया। पार्किंग शुल्क की वसूली वार्षिक खुली निविदा के माध्यम से करायी जानी थी। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ने शहरी क्षेत्र में 2013–2014 के लिये टैक्सी स्टैण्डों, सभी वाणिज्यिक वाहनों से लोडिंग एवं अनलोंडिग पर पार्किंग शुल्क नीलामी हेतु निविदा (मार्च 2013) प्रारम्भ किया। निविदा एवं पुनर्निविदा (कुल आठ बार[3]) जुलाई 2013 तक करने के पश्चात भी, अधिशासी अधिकारी द्वारा पार्किंग शुल्क के वसूली की नीलामी नहीं की जा सकी। निविदा के अस्वीकार होने का कारण पर्याप्त संख्या (तीन बार) में निविदाएं प्राप्त न होना, सक्षम प्राधिकारी की अनुपस्थिति (दो बार) और पूर्व वर्ष की तुलना में प्रस्तावित मूल्य कम होना (तीन बार) था। उच्चतम निविदा ₹ 44 लाख प्राप्त हुई (मई 2013)। विभाग द्वारा कम निविदा के कारण का विश्लेषण नहीं किया गया था। निविदा जिलाधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गयी, कि निविदा की धनराशि पूर्व वर्ष में प्राप्त धनराशि से कम थी, जैसे ₹ 74.75 लाख। इसी बीच, विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 के मध्य ₹ 4.63 लाख का राजस्व एकत्रित किया गया। अग्रेतर, जिलाधिकारी ने गत वर्ष के राजस्व प्राप्ति के लेखों के आधार पर, 2013–14 के शेष अवधि के लिये ₹ 47.57 लाख का लक्ष्य[4] निर्धारित करने हेतु आदेशित (अगस्त 2013) किया। किन्तु, अनुश्रवण में

[3] दिनांक 10.04.2013, 17.04.2013, 30.04.2013, 10.05.2013, 10.06.2013,19.06.2013, 01.07.2013 एवं 12.07.2013।

[4] ₹ 22,652.00 प्रतिदिन, ₹ 6.80 लाख प्रतिमाह एवं ₹ 20.39 लाख प्रति त्रैमास।

शिथिलता के कारण लक्षित धनराशि की वसूली विभागीय कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा सकी।

अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि ₹ 22,652.72 प्रतिदिन के लक्ष्य के सापेक्ष विभागीय प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,140 एवं ₹ 5,045 के मध्य पार्किंग शुल्क प्रतिदिन वसूला गया (अप्रैल 2013 से अगस्त 2013)। परन्तु नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से पार्किंग शुल्क की शिथिलतापूर्ण वसूली लगातार जारी रही और वर्ष के दौरान मात्र ₹ 15.04 लाख ही वसूला गया। इस प्रकार, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वसूली को प्राप्त करने में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर असफल रहे। यदि राजस्व वसूली की प्रक्रिया का प्रभावी अनुश्रवण किया गया होता, ₹ 32.53 लाख की हानि को रोका जा सकता था। यह भी संज्ञान में आया कि 2014–15 का अनुबन्ध ₹ 46.05 लाख में पूर्ण किया गया (मार्च 2014) और धनराशि अधिशासी अधिकारी द्वारा ठेकेदार से प्राप्त की गयी।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (अगस्त 2014) नगर पालिका परिषद ने बताया (मई 2015) कि कम वसूली का कारण खुदाई पर प्रतिबन्ध होना था, जिसके कारण शहर में वाहनों का प्रवेश बाधित था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिबन्धित अवधि में राजस्व वसूली न किया जाना और प्रतिबन्धित अवधि से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मांगने (अगस्त 2015) पर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अग्रेतर, विभागीय कर्मचारियों के वसूली में विफल रहने पर उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

यह भी संज्ञान में आया कि नगर पालिका परिषद के शिथिलतापूर्ण रवैया के कारण वाह्य स्रोतों से निविदा को अन्तिम रूप देने एवं राजस्व हानि की जाँच सम्बन्धी निर्णय समय से लेने में विफल रहने के कारण नगर पालिका परिषद को ₹ 32.53 लाख की हानि वहन करनी पड़ी।

6.6 अलाभकारी व्यय

नगर पंचायत, निचलौल, महराजगंज में नाला के अपूर्ण निर्माण कार्य पर ₹ 32.66 लाख का अलाभकारी व्यय, परिणामस्वरूप जल बहाव का मुख्य नाले से जोड़े जाने सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति न होना।

नगर पंचायत निचलौल, महराजगंज में जल निकासी की सुविधा हेतु नाला बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, महराजगंज की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तेरहवें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत वार्ड संख्या 11 (नाला 'ए' रेखाचित्र में नीचे) में 400 मीटर नाला[5] निर्माण हेतु ₹ 6.50 लाख की स्वीकृति (दिसम्बर 2012) प्रदान की गयी, जिसे मुख्य नाला (नाला 'एक्स') ठूठीबारी सड़क पर जोड़ा जाना था। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, महराजगंज द्वारा ₹ 13.25 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जनवरी 2013 को दी गयी थी। अतिरिक्त व्यय ₹ 6.75 लाख राज्य वित्त आयोग से पूरा किया जाना था। नाला 'ए' के निर्माण हेतु 16 फरवरी 2013 को कार्यादेश जारी किया गया था कि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाय ।

[5] श्री सत्यनारायण बाबा, कटरा चौराहा के घर से माधवलिया रोड बाग तक।

नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत वार्ड संख्या 3 और 13 (नाला 'बी' से 'एफ' तक रेखा चित्र में नीचे) में 472.50 मीटर के पाँच नालों के निर्माण के लिये एक अन्य प्रस्ताव भी नगर पंचायत अध्यक्ष से स्वीकृत (दिसम्बर 2012) था, जिसे मुख्य नाला (नाला 'वाई') सिसवा मार्ग पर जोड़ा जाना था, जिसके लिये शासन ने ₹ 20 लाख की स्वीकृति प्रदान की थी (फरवरी 2013)। अधिशासी अभियन्ता द्वारा फरवरी 2013 में ₹ 20 लाख ('बी' से 'एफ' तक ₹ 4 लाख प्रत्येक नाला) की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। नाला 'बी' से 'एफ' तक के निर्माण हेतु 7 मार्च 2013 को कार्यादेश जारी किया गया कि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण हो जाय।

ikDdfyr ,oa fufeZr ukyks dh yEckbZ dk izn'kZu djus okyk js[kkfp=

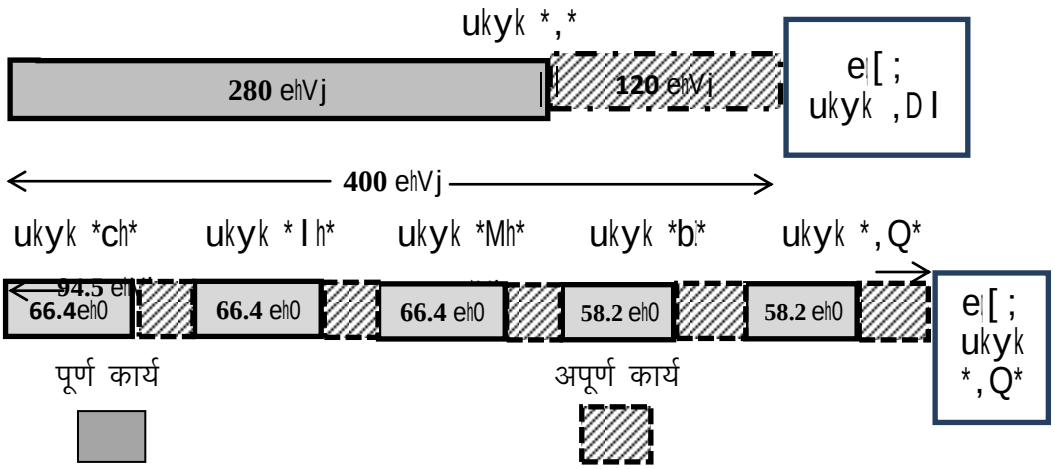

नगर पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2014) में पाया गया कि 400 मीटर नाला 'ए' के स्थान पर मात्र 280 मीटर नाला का निर्माण किया गया (जुलाई 2013)। इसी प्रकार 472.50 मीटर के नाले 'बी, सी, डी, ई एवं एफ' के स्थान पर मात्र 315.60 मीटर नाला का निर्माण किया गया (अप्रैल 2013)। सभी निर्मित नाले अपूर्ण थे (सितम्बर 2015)। तद्नुरूप, प्राक्कलित लम्बाई 872.50 मीटर के छः नालों के सापेक्ष कुल 595.60 मीटर की लम्बाई के निर्माण हेतु नगर पंचायत द्वारा ₹ 32.66 लाख[6] का भुगतान किया गया ¼ifjf'k"V 6-4½। अग्रेतर, यह देखा गया (जनवरी 2015) कि नाला 'ए' और 'बी' से 'एफ' तक को क्रमशः मुख्य नाला एक्स और वाई से जोड़ा जाना था, परन्तु अपूर्ण निर्माण के कारण इन्हें मुख्य नाले से नहीं जोड़ा गया था। अग्रेतर, स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच में पाया गया कि ये नये नाले थे, लेकिन इनके निर्माण से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं वास्तविक प्राक्कलन तैयार करने हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप नाला 'ए' की कुछ भूमि वन विभाग की थी, जिसका क्लियरेंस प्राप्त न होने के कारण विवादित थी, परिणामस्वरूप नाला 'ए' अपूर्ण रहा। इस प्रकार नगर क्षेत्र में जल निकासी का उद्देश्य पूर्ण न होने के कारण किया गया व्यय ₹ 32.66 लाख अलाभकारी रहा (मई एवं अगस्त 2013)।

इस सम्बन्ध में इंगित (जनवरी और मई 2015) किये जाने पर अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत ने उत्तर में बताया कि नाला 'ए' का निर्माण, कार्यस्थल पर विवाद के कारण पूर्ण नहीं हो सका। नाला 'बी''सी''डी' और 'एफ' के लिये बताया (जनवरी 2015) कि

[6] दिनांक 27.08.2013 को नाला ए के लिए ₹ 12.66 लाख एवं दिनांक 01.05.2013 को नाला बी से एफ के लिए ₹ 20 लाख।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विपरीत निविदा दरें अधिक होने कारण वांछित लम्बाई का निर्माण नहीं हुआ। नाला 'ई' के लिये बताया कि नाले की गहराई अनुमान से अधिक होने के कारण उल्लिखित लम्बाई का निर्माण नहीं हुआ। नगर पंचायत ने यह भी बताया कि जल को बाहर गिराये जाने हेतु, वर्तमान में नालों की अस्थायी खुदाई का कार्य किया जा रहा है। अग्रेतर, यह बताया (सितम्बर 2015) गया कि अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निधि प्राप्त हो गयी है एवं नालों को मुख्य नाला से जोड़ दिया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अभिलेखों से पता चला कि प्राप्त निधि उक्त कार्य से भिन्न कार्य के लिये थी। इस प्रकार नाला 'एक्स' और 'वाई' से जोड़ने की सम्भावना निकट भविष्य में बहुत कम थी।

इसके अतिरिक्त, भूमि की उपलब्धता, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। अग्रेतर, भूमि का विवाद, स्थल पर गड्ढे होना जैसे मुद्दों से बचने और वास्तविक प्राक्कलन को तैयार करने हेतु, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का समुचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिये था। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण न किये जाने और वास्तविक प्राक्कलन न किये जाने के कारण, जल निकासी का उद्देश्य पूर्ण नही हुआ तथा ₹ 32.66 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

6-7 vykHkdkjh 0;;

uxj ipk;r Åu] 'kkeyh e lkenkf;d dUn d foxr N% o"kk l vf/kd le; rd vui;kxh jgu d dkj.k mld fuek.k ij vykHkdkjh 0;; ₹ 12-96 yk[kA

चयनित क्षेत्रीय विकास केन्द्रों पर आधारभूत संरचना एवं सुविधा प्रदाता के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित संगठित विकास योजना प्रारम्भ (1979–80) की गई, जिससे उक्त नगर को आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार परक तथा बड़े एवं महानगरों की ओर पलायन को रोकने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना था।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों, विवाहों आदि के आयोजन के लिए एक हाल एवं तीन कमरा युक्त सामुदायिक केन्द्र नगर पंचायत ऊन, शामली में निर्माण हेतु ₹ 15.13 लाख (माह फरवरी 2007) की स्वीकृति प्रदान की गयी। कुल निर्माण कार्य की लागत में से ₹ 7.06 लाख संगठित विकास योजना निधि से एवं शेष ₹ 8.06 लाख नगर पंचायत को अपने निजी स्रोत से पूरा करना था।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊन, शामली के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) में पाया गया कि जुलाई 2007 में एक ठेकेदार को तीन माह की अवधि में कार्य पूर्ण किए जाने की शर्त के साथ सामुदायिक केन्द्र के निर्माण की निविदा दी गयी। कार्य जुलाई 2007 में प्रारम्भ किया गया और ठेकेदार को ₹ 12.96 लाख भुगतान किया गया (अप्रैल 2009)। आगे की अवधि में ठेकेदार को कोई भी भुगतान नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा अपने हिस्से की वांछित धनराशि नहीं दिये जाने के फलस्वरूप विद्युतीकरण, दरवाजे, खिड़की आदि अधूरे कार्य सितम्बर 2009 के मध्य रोक दिया गया। इस प्रकार सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का कार्य छः वर्षों से अधिक अवधि (सितम्बर 2015) से अपूर्ण रहने के कारण ₹ 12.96 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल (02.12.2014)	क्षतिग्रस्त फर्श (02.12.2014)

नगर पंचायत, उन शामली में सामुदायिक केन्द्र भवन

इस सम्बन्ध में इंगित (दिसम्बर 2014 एवं जून 2015) किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ऊन, शामली द्वारा स्वीकार किया गया कि भवन अनुपयोगी पड़ा हुआ है तथा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किए जाने के कारण कार्य रूका हुआ था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संगठित विकास योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 12.02 लाख का उपयोग सामुदायिक केन्द्र हेतु किया जा चुका है, जो कि सामुदायिक केन्द्र हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 7.06 लाख से अधिक था। जबकि, उत्तर प्रदेश शासन की स्वीकृति के अनुसार नगर पंचायत द्वारा अपने निजी स्रोत से वांछित धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी जिसके फलस्वरूप सितम्बर 2015 तक सामुदायिक केन्द्र अपूर्ण रहा।

इस प्रकार, अधिशासी अधिकारी, ऊन, शामली की शिथिलता के कारण सामुदायिक केन्द्र अपूर्ण पड़ा रहा एवं सामुदायिक कार्यो, विवाहों आदि के आयोजन से होने वाले सामुदायिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी जिसके फलस्वरूप ₹ 12.96 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त जैसा कि उक्त चित्र में प्रदर्शित है, सामुदायिक केन्द्र का भवन उपयोग न किये जाने एवं समुचित रख–रखाव न किये जाने से क्षरण की ओर अगसर था।

6-8 vyHkdkjh 0;;

uxj fuxe eqjknkckn esa ck;kesfVªd fQaxj fizaV mifLFkfr e'khuksa ds vfØ;k'khy jgus ds QyLo:i vyHkdkjh 0;; ₹ 14-27 yk[kA

नगर निगम, के कामकाज में आधुनिकीकरण और पारदर्शिता के उद्देश्य से सरकारी नीति में परिकल्पित बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट उपस्थिति मशीनें नगर निगम, मुरादाबाद में स्थापित (दिसम्बर 2009) की गई।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2014) में पाया गया कि नगर निगम, मुरादाबाद ने बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट उपस्थिति मशीनें नगर निगम कार्यालयों में स्थापित करने हेतु क्रय करने का निर्णय (जून 2009) लिया। टेण्डर आमन्त्रित किये गये (जुलाई 2009) किन्तु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण नगर निगम द्वारा मे0 अदमान टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (फर्म) से कोटेशन (अगस्त 2009) आमन्त्रित किया गया जो कि उसी तरह की मशीनों को दिल्ली नगर निगम को आपूर्तित कर चुका था। तत्पश्चात, फर्म एवं नगर निगम के मध्य ₹ 13.69 लाख में 20 नग बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट उपस्थिति मशीनें स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन फर्म एवं नगर निगम के मध्य

निष्पादित किया गया था (अक्टूबर 2009)। अग्रेतर, हमने पाया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में फर्म से निष्पादन सुरक्षा[7] प्राप्त करने वाली एक उपधारा थी, जबकि इस तरह का कोई उपधारा नगर निगम एवं फर्म के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में शामिल नहीं की गयी थी। आपूर्ति की तिथि से एक वर्ष की वारण्टी मशीनों मे निहित थीं। मशीनों की आपूर्ति अक्टूबर 2009 में प्राप्त हुई एवं दिसम्बर 2009 में स्थापित एवं संचालित हुईं (18 मशीनें स्वास्थ्य विभाग, एक मशीन जल–कल विभाग एवं एक नगर निगम कार्यालय में)। तत्पश्चात्, अक्टूबर 2009 से फरवरी 2011 तक फर्म को ₹ 12.68 लाख का भुगतान किया गया था। जबकि जल–कल विभाग में स्थापित मशीन ने वारंटी की अवधि के दौरान (अगस्त 2010) ही कार्य करना बंद कर दिया था। तत्पश्चात्, नगर निगम के कम्प्यूटर विभाग ने दिसम्बर 2010 में नगर आयुक्त को सूचित किया कि फर्म द्वारा स्थापित सभी मशीनें एवं सॉफ्टवेयर अक्रियाशील हो गये हैं। जबकि दिसम्बर 2010 में इन मशीनो की वारंटी अवधि[8] समाप्त हो चुकी थी, फर्म ने जनवरी 2011 में नगर निगम से फरवरी 2011 से जनवरी 2012 की अवधि की वार्षिक अनुरक्षण संविदा निष्पादित करने का अनुरोध किया जो कि फरवरी 2011 में निष्पादित कर लिया गया एवं फर्म को ₹ 1.59 लाख की धनराशि अग्रिम के रूप में भुगतान (जनवरी 2011) कर दी गयी। किन्तु वार्षिक अनुरक्षण संविदा के अन्तर्गत अग्रिम भुगतान किए जाने के पश्चात फर्म द्वारा मरम्मत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। इसके उपरान्त, नगर निगम ने बताया कि यह मामला टेलीफोन से अनुसरण किया गया किन्तु फर्म का शिथिल रवैया होने के कारण नगर निगम ने बायोमेट्रिक मशीन को हटवा दिया। यद्यपि, नगर निगम के अभिलेखों में मशीनों के हटाने की निश्चित तिथि अंकित नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पाया कि नगर निगम द्वारा अनुबंध में निष्पादन गारण्टी उपधारा शामिल नहीं की गयी थी, जिसके कारण 24 से 48 घंटे के भीतर मशीन की खराबी ठीक न करने की स्थिति में ठेकेदार के उपर दण्ड आरोपित करके उनके बिल की धनराशि से 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती नहीं की जा सकी। अतः नगर निगम के हितों की रक्षा करने में नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद विफल रहे एवं उक्त मशीन की आपूर्ति एवं अनुरक्षण पर पूर्ण निवेश ₹ 14.27 लाख अलाभकारी रहा।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार (जुलाई 2015) करते हुए बताया कि प्रभारी अधिकारी द्वारा क्रय करते समय निष्पादन सुरक्षा/बैंक गारण्टी नहीं ली गई। उत्तर लेखापरीक्षा के तथ्यों की पुष्टि करता है।

6-9 vuRikd fuos'k

₹ 47-87 yk[k dh fuos'k ls uxj iapk;r] ekgkuk] y[kuÅ esa fufeZr ,oa ejEer dh x;h nqdkusa ,oa gky dk vkofVr u fd, tkus ds QyLo:i fuos'k dk vuRikd jgukA

नगर को आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारपरक तथा बड़े एवं महानगरों की ओर पलायन को रोकने के लिए चयनित क्षेत्रीय विकास केन्द्रों को आधारभूत संरचना एवं सुविधा प्रदाता

[7] कार्यादेश जारी के 30 दिन के अन्दर अनुबन्धित कुल लागत (परियोजना का) का 10 प्रतिशत परफारमेंस सुरक्षा जो 84 माह तक प्रभावी हो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारण्टी के रूप में देना होगा असफल होने की दशा में जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

[8] आपूर्ति की तिथि से एक वर्ष जो 21.10.2009 से 20.10.2010 तक।

के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से छोटे एवं मध्यम आकार के नगरों के एकीकृत विकास के अर्न्तगत केन्द्र पुरोनिधानित संगठित विकास योजना प्रारम्भ (1979–80) की गई। इसी क्रम में, राज्य सरकार द्वारा ₹ 80 लाख (अक्टूबर 2004 में ₹ 40 लाख एवं सितम्बर 2006 मे ₹ 40 लाख) इस योजना के लिए स्वीकृत किए गए। अग्रेतर, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ द्वारा महोना बाजार में निर्माण कार्य के लिए ₹ 52.16 लाख[9] की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार 36 दुकानों एवं एक हाल का निर्माण संगठित विकास योजना के अन्तर्गत किया जाना था। निर्माण कार्य की कुल लागत में से ₹ 35.68 लाख[10] संगठित विकास योजना निधि से व्यय होना था एवं शेष धनराशि ₹ 16.48 लाख[11] नगर पंचायत के निजी स्रोतों से पूरा किया जाना था। छोटे एवं मध्यम आकार के नगरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत योजनाओं की नियमित समन्वय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के स्थायी आदेशों के अनुरूप नागरिक समन्वय अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता में एक समिति[12] वर्ष 2003 में गठित की गई थी।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महोना, लखनऊ के लेखाभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2015) में पाया गया कि तीन ठेकेदारों को 36 दुकानों व एक हाल के निर्माण का कार्यादेश जारी (मार्च 2005 व मार्च एवं सितम्बर 2006) किया गया और इसे दिसम्बर 2006 तक तीन माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 22 दुकानों एवं एक हाल के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया था एवं ₹ 38.02 लाख का भुगतान (दिसम्बर 2006 से मार्च 2008) ठेकेदारों को किया गया था *¼ifjf'k"V 6-5½*। यद्यपि, शेष 14 दुकानों का निर्माण कार्य नगर पंचायत के निजी हिस्से की धनराशि की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा निरीक्षण में पाया गया कि पूर्णतः निर्मित 20 दुकानों एवं एक हाल नगर पंचायत के पास अनुपयोगी पड़े थे और दो दुकानें अनाधिकृत रूप से पुलिस चौकी, महोना के कब्जे में थी। इसी अवधि में यह दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई और नगर पंचायत द्वारा इनके मरम्मत पर ₹ 9.85 लाख व्यय किया गया (सितम्बर 2013)। यद्यपि, पांच वर्ष से अधिक विलम्ब से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत द्वारा नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग को क्षेत्रीय नियोजन इकाई के संयुक्त नियोजक को दुकानों व हाल के बिक्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (नवम्बर 2013)। क्षेत्रीय नियोजन इकाई से बिक्री प्रक्रिया से सम्बन्धित निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त नीलामी द्वारा इनकी बिक्री का निर्णय समिति द्वारा (नवम्बर 2013) लिया गया, परन्तु दुकान एवं हाल की बिक्री अक्टूबर 2015 तक नहीं हुयी थी। इससे अधिशासी आधिकारी का शिथिलता पूर्ण रवैया एवं अनुश्रवण का पूर्ण अभाव परिलक्षित होता है, क्योंकि संगठित विकास योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों को लम्बी अवधि के लिए निष्प्रयोज्य रखा जाना अनुमन्य नहीं था।

[9] जून 2006 में चार दुकान एवं एक हाल हेतु ₹ 8.72 लाख; दिसम्बर 2005 एवं जून 2006 में 21 दुकान हेतु ₹ 29.37 लाख; फरवरी 2005 एवं जुलाई 2006 में 11 दुकान के लिए ₹ 14.07 लाख।

[10] फरवरी 2005 में संगठित विकास योजना निधि से ₹ 12.72 लाख;जून 2006 में ₹ 6.16 लाख एवं ₹ 16.80 लाख।

[11] फरवरी 2005 में निजी स्रोत से ₹ 2.56 लाख, जून 2006 में ₹ 1.35 लाख एवं ₹ 12.57 लाख, निजी स्रोतों से सम्पूर्ण निधि ₹ 16.48 लाख।

[12] जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसमें अधिशासी आधिकारी, नगर पंचायत, महोना, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधुत बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश जलनिगम एवं अध्यक्ष, नागरिक समन्वय अनुश्रवण समिति।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, महोना ने लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि नीलामी द्वारा बिक्री प्रक्रिया में है। वास्तविकता यह है कि दुकानों एवं हाल को पिछले सात वर्षों से आवंटित न किए जाने के फलस्वरूप निर्मित दुकानों एवं हाल का क्षरण हो रहा था तथा नगर पंचायत, महोना द्वारा ₹ 47.87 लाख का निवेश अनुत्पादक था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

(पी0 के0 कटारिया)
प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 1 मार्च 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 2 मार्च 2016